

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.
दायर दिनांक: 05.09.2019

प्रकरण सं० 129/2019

उनवान

1. भारतभूषण आयु 59 वर्ष पुत्र कजोडमल जाति महाजन निवासी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज०।

वादी

बनाम

1. पन्ना आयु 80 वर्ष पुत्र परथा जाति कहार निवासी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज०।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्गे तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राज०।
3. श्यामबाई आयु 45 वर्ष पत्नी नन्दजी जाति कहार निवासी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज०।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर०टी०एक्ट

उपस्थिति :-

वादी:- विद्वान अभिभाषक श्री आर० पी० गोयल।

निर्णय

दिनांक 27/03/2023

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि मोठपुर की खाता संख्या 313 ख० नं० 1034 किता 1 रकबा 0.53 है० भूमि का निर्णय दिनांक 15.04.2021 द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार अटरू से दोनों पक्षों की उपस्थिति में हिस्से अनुसार व अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर चाहा गया था। उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2022/3099 दिनांक 15.12.2022 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया जिससे अभिभाषक वादी सहमत है।

अतः निर्णय व डिक्री दिनांक 15.04.2021 अनुसार वादी व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम मोठपुर की खाता संख्या 313 ख० नं० 1034 किता 1 रकबा

0.53 है० भूमि में वादी व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया है। अतः वादी व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

- I. पन्ना पुत्र परथा जाति कहार सा० देह० खातेदार के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी:-

नाम ग्राम	ख०नं०	रकबा	किस्म	लगान	दिशा
मोठपुर	1034	0.27 है०	बरानी-1	2.43	पूर्व
	कुल किता 1	0.27 है०	-	2.43	

- II. भारतभूषण पुत्र कजोडमल जाति महाजन सा. देह खातेदार के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी, **रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा सालपुरा :-**

नाम ग्राम	ख०नं०	रकबा	किस्म	लगान	दिशा
मोठपुर	1034	0.26 है०	बरानी-1	2.34	पश्चिम
	कुल किता 1	0.26 है०	-	2.34	

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिफ्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

फाइनल डिक्ली मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 129/2019

दायर दिनांक: 05.09.2019

उनवान

1. भारतभूषण आयु 59 वर्ष पुत्र कजोडमल जाति महाजन निवासी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. पन्ना आयु 80 वर्ष पुत्र परथा जाति कहार निवासी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्गे तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. श्यामबाई आयु 45 वर्ष पत्नी नन्दजी जाति कहार निवासी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0एक्ट

उपस्थिति :-

वादी:- विद्वान अभिभाषक श्री आर0 पी0 गोयल।

मिनजानित मुदई रुबरूX.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्ली दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम मोठपुर की ख0 नं0 1034 रकबा 0.53 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

- I. पन्ना पुत्र परथा जाति कहार सा0 देह0 खातेदार के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी:-

नाम ग्राम	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान	दिशा
मोठपुर	1034	0.27 है0	बरानी-1	2.43	पूर्व
	कुल किता 1	0.27 है0	-	2.43	

- II. भारतभूषण पुत्र कजोडमल जाति महाजन सा. देह खातेदार के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी, रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा सालपुरा :-

नाम ग्राम	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान	दिशा
मोठपुर	1034	0.26 है0	बरानी-1	2.34	पश्चिम
	कुल किता 1	0.26 है0	-	2.34	

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहX.....
.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करूंगा।
मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 27.03.2023 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)